डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2021 / 13863 दिनांकः 20 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः **मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 को छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह नवम्बर, 2021 तक छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 1449 / पि0व0क0 / 2021 –22 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 एवं 1480 / पि0व0क0 / 2021–21 दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–84 / 2021 / 1868 / 26–3– 2021–4 (358) / 07 टी0सी0 III दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु विस्तृत समय–सारणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार छात्रों के आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर, 2021 निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत राज्य एन0आई0सी0 द्वारा दिनांक 08.10.2021 को निदेशालय की लॉगिन पर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को छोड़कर) सत्र 2019–20 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्र / छात्राओं द्वारा आनलाइन किये जा रहे आवेदनों की प्रगति अत्यन्त कम है, जबकि इस सम्बन्ध में विभाग स्तर से सम्बन्धित शिक्षा विभाग / शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समयान्तर्गत समस्त पात्र छात्र / छात्राओं के आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन कराये जाने हेतु पर्याप्त निर्देश जारी किये जा चुके है।

अतः संस्थान के निदेशक / प्राचार्य से अपेक्षा है कि संलग्न समय सारिणी के अनुसार आपकी संस्था में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं का आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन कराने एवं संस्था स्तर से प्रमाणित एवं अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।

आपके संस्थान में अध्ययनरत् पात्र छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यवाही ससमय आनलाइन सम्पन्न न किये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व संस्थान का स्वयं का होगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।
3. परीक्षा नियन्त्रक, ए0के0टी0यू0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि छात्र / छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड / लिंक कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करना सुनिश्चित करें।
4. स्टाफ आफिसर, मा0 कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– रजिस्ट्रार,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– रजिस्ट्रार,
किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3– रजिस्ट्रार,
आयुर्वेद/होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

4– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

5– निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।

6– निदेशक,
कृषि शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

7– निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

8– निदेशक,
व्यावसायिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

9– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

10– निदेशक,
श्रम एवं सेवायोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक 1549/पि0व0क0/2021–22, लखनऊ : दिनांक 08 अक्टूबर, 2021

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 को छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह नवम्बर, 2021 तक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–84/2021/1868/26–3–2021–4(358)/07टी.सी.III दिनांक 12 जुलाई, 2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु छात्रों के आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु विस्तृत समय–सारिणी जारी की गयी है, जिसके अनुसार छात्रों के आनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर, 2021 निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत राज्य एन0आई0सी0 द्वारा दिनांक 08–10–2021 को निदेशालय की लॉगिन पर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छोड़कर) कक्षा 11–12 के कुल 4,76,845 छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करते हुए 2,10,658 छात्रों के आवेदन फाइनल रूप से सबमिट हुए है तथा शिक्षण संस्थान स्तर से मात्र 43,779 छात्रों के आवेदन आनलाइन अग्रसारित किये गये व 167 छात्रों के आवेदन आनलाइन रिजेक्ट किये गये हैं। इसी प्रकार कक्षा 11–12 को छोड़कर अन्य

दशमोत्तर कक्षाओं में कुल 2,58,322 छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करते हुए 53,100 आवेदन फाइनल रूप से सबमिट किया गया है तथा शिक्षण संस्थान स्तर से मात्र 1372 छात्रों के आवेदन आनलाइन अग्रसारित व 5 छात्रों के आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं।

इस संबंध में उल्लेख करना है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में लगभग 32 लाख व 2020–21 में 22 लाख से अधिक अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन फाइनल रूप से आनलाइन सबमिट किये गये थे, जिसकी तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन किये जा रहे आवेदनों की प्रगति अत्यन्त कम है, जबकि इस सम्बन्ध में विभाग स्तर से सम्बन्धित शिक्षा विभाग/शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समयान्तर्गत समस्त पात्र छात्र/छात्राओं के आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन कराये जाने हेतु पर्याप्त निर्देश जारी किये जा चुके है।

यह भी उल्लिखित करना है कि 02 अक्टूबर, 2021 को लोक भवन, लखनऊ में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा 30 नवम्बर, 2021 तक समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति वितरण कराने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञानित कराना है कि कतिपय पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में छात्रों को बगैर अंकों के अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रोन्नत किया गया है, जिसके दृष्टिगत ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों को वित्तीय वर्ष 2021–22 में छात्रवृत्ति आवेदन में प्रमोटेड विदआउट का आप्शन देते हुए आनलाइन आवेदन किये जाने की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है।

अतः संदर्भित प्रकरण के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष संख्या–1034, 10वां तल इन्दिरा भवन लखनऊ में दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को अपरान्ह 12:00 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गयी है। इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि आपके नियंत्रणाधीन विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिसमें छात्रों को बगैर अंकों के अगली कक्षा/सेमेस्टर में प्रोन्नत किया गया है व ऐसे पाठ्यक्रम जिनका परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नही हुआ है, उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रमवार विवरण तथा संचालित पाठ्यक्रमों में सक्षम स्तर से निर्धारित फीस का पाठ्यक्रमवार विवरण के साथ आप स्वयं अथवा आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें, ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत छात्रवृत्ति का वितरण कराया जा सके।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
08.10.2021
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

पृष्ठांकन सं0– 1549 /पि0व0क0/2021–22/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2

2– निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

08.10.2021
(डा0 वन्दना वर्मा)
निदेशक।

संख्या- 84 /2021/1868 /26-3-2021-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 12 जुलाई 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-346/स0क0/शिक्षा-अ/07/52/2021-22, दिनांक-09.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का प्रदेश के अन्दर एवं वाह्य प्रदेशों में (केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त) संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर अन्य समस्त कार्यवाही एवं छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन सहित समस्त अन्य कार्यवाही आदि हेतु वर्ष 2021-22 में विस्तृत समय सारिणी जारी की जानी है। वर्तमान में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत शिक्षण संस्थाओं के बन्द होने के कारण माह जुलाई से समय सारणी प्रारंभ की जा रही है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिये छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु वर्ष 2021-22 के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय सारिणी निर्गत की जाती है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि
1	2	3
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रवार कुल सीटों की संख्या। सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	15 जुलाई 2021 से 10 अगस्त 2021 तक
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) निदेशालय, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाइन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	15 जुलाई 2021 से 25 अगस्त 2021 तक

1बी	योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये), पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित करना।	15 जुलाई 2021 से 02 सितम्बर 2021 ***(नोट:-राज्य से बाहर की पूर्व से पासवर्ड प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को आनलाइन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)***
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंगएजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित करना तथा उसकी प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	11 अगस्त 2021 से 03 सितम्बर 2021 तक
2ए	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा आनलाईन सत्यापित करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
2 बी	योजनाधिकारी, वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशों में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	03 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लाक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लॉक न की जाय) आनलाइन लाक किया जाना एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करना।	04 सितम्बर 2021 से 22 सितम्बर 2021 तक
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीनीकरण (Renewal) के छात्रों हेतु		
4	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना। (आनलाइन आवेदन **छात्र/छात्राओं हेतु 20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक अनवरत जारी रहेगा।)**	20 जुलाई 2021 से 28 अगस्त 2021 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम 01 सितम्बर 2021 तक
7	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना। **(नोटः-22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक संस्था से अग्रसारित सही नवीनीकरण के छात्र/छात्राओं के डाटा को 01 अक्टूबर 2021 को भुगतान हेतु डाटा में सम्मिलित किया जायेगा।)**	22 जुलाई 2021 से 07 सितम्बर 2021 तक
8	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा-स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/ छात्राओ का भौतिक सत्यापन किया जाना।	20 सितम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 तक
9	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	15 सितम्बर 2021 तक
10	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जानाएवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	08 सितम्बर से 15 सितम्बर 2021 तक
11	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल	16 सितम्बर 2021 से 28 सितम्बर 2021 तक

	सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना (नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं के लिये)	
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधारपर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्र/छात्राओं का एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	30 सितम्बर 2021 तक
13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर नवीनीकरण (Renewal) के सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	01 अक्टूबर 2021 तक
कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु		
14	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाईन आवेदन किया जाना।	20 जुलाई 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक
15	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
16	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तक
17	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 जुलाई 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक
18	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	10 नवम्बर 2021 तक
19	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर 2021 से 15 नवम्बर 2021 तक
20	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 10 दिसम्बर 2021 तक
21	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक
22	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र-छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 29 नवम्बर 2021 तक
23	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 नवम्बर 2021 से 01 दिसम्बर 2021 तक
24	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	02 दिसम्बर 2021 से 09 दिसम्बर 2021 तक
25	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।	10 दिसम्बर 2021 से 20 दिसम्बर 2021 तक
26	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	24 दिसम्बर 2021 तक
27	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27 दिसम्बर 2021 तक

नोट:

1 उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks/Promoted without marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared ऑप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

4- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइब हो सके।

5- उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति वितरण दिवस का समारोह प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत यथासमय अवगत करा दिया जायेगा।

कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021-22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव

पृ0सं0- 84/2021/ 1868 (1)/26-3-2021 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/ नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक— C-382 /स0क0/शिक्षा—अ/7/52/2021—22

लखनऊ, दिनांकः 13 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग—3

2— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3— निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय—सारिणी के शासनादेश संख्या—84/2021/1868/26—3—2021—4(358)/07 टी0सी0 III दिनांक 12.07.2021 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ—साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

8— वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

9— समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

10— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार—प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

13/7/2021

(राकेश कुमार)
निदेशक

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1— रजिस्ट्रार,
आयुर्वेद/होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2— निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
3— निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4— महानिदेशक,
कृषि शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
5— निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
6— निदेशक,
व्यावसायिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
7— निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
8— निदेशक,
श्रम एवं सेवायोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

D.R.(B)
AR(S)
द (सहा वर्ग कार्यवाही हेतु)
Reg.
13/10/21

पत्रांक 1480/पि0व0क0/2021—22, लखनऊ : दिनांक 12 अक्टूबर, 2021

विषय— मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 को छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021—22 में माह नवम्बर, 2021 तक छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस निदेशालय के पत्र संख्या—1449/पि0व0क0/2021—22 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 02 अक्टूबर, 2021 को लोक भवन, लखनऊ में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुए छात्रवृत्ति वितरण समारोह कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माह नवम्बर, 2021 तक समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति वितरण कराने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण, अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—84/2021/1868/26—3—2021—4(358)/07टी.सी.III दिनांक 12 जुलाई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु छात्रों के आवेदन से लेकर वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निर्गत विस्तृत समय—सारिणी के अनुसार छात्रों के आनलाइन आवेदन किये जाने से लेकर शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रों के आवेदनों को निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन अग्रसारित कराये जाने आदि के संबंध में निदेशालय स्तर पर शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी, जिसमें डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उ0प्र0, लखनऊ एवं किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ के नामित प्रतिनिधियों द्वारा ही बैठक में प्रतिभाग किया गया, किन्तु अत्यन्त खेद विषय का विषय है कि उक्त बैठक में न तो आप द्वारा स्वयं और न ही आपके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

इस संबंध में जैसा कि आप अवगत है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण माह नवम्बर, 2021 तक कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में नोडल विभाग समाज कल्याण स्तर से छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से संबंधित विस्तृत रूप से संशोधित समय—सारिणी निर्गत की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

13/10/2021

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य एन0आई0सी0 द्वारा दिनांक 12–10–2021 को निदेशालय की लॉगिन पर उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् **अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को छोड़कर) कक्षा 11–12 के कुल 5,85,390 छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करते हुए 2,57,135 छात्रों के आवेदन फाइनल रूप से सबमिट किये गय है तथा शिक्षण संस्थान स्तर से मात्र 45,242 छात्रों के आवेदन आनलाइन अग्रसारित व 192 आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं।**

इसी प्रकार कक्षा 11–12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत् अन्य पिछड़े वर्ग के कुल 4,02,015 छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन करते हुए 93,043 आवेदनो फाइनल रूप से सबमिट किया गया है तथा शिक्षण संस्थान स्तर से मात्र 1671 छात्रों के आवेदन आनलाइन अग्रसारित व 10 छात्रों के आवेदन रिजेक्ट किये गये हैं, जबकि निर्गत समय–सारिणी के अनुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर, 2021 निर्धारित है, किन्तु उक्त प्रगति गतवर्षों की तुलना में बहुत ही कम है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु शासन स्तर से छात्रहित के दृष्टिगत दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत संशोधित समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित समयान्तर्गत छात्रों के आनलाइन आवेदन कराये जाने से लेकर शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रों के फाइनल रूप से सबमिट आवेदनों में से पात्र छात्रों के आवेदनों को अग्रसारित एवं अपात्र छात्रों के आवेदनों को आनलाइन निरस्त किये जाने आदि के संबंध में आपके नियंत्रणाधीन समस्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थानों को प्रकरण की अनिवार्यता एवं समय की अपरिहार्यता के दृष्टिगत अपने स्तर से तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, ताकि कोई भी पात्र छात्र/छात्रा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन किये जाने से वंचित न रहने पाये, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप निर्धारित समयान्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण कराया जा सके।

भवदीया,

12.10.2021

(डा0 वन्दना वर्मा)

निदेशक।

पृष्ठांकन सं0– 1400 /पि0व0क0/2021–22/तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग–2

2– निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

3– रजिस्ट्रार, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उ0प्र0, लखनऊ।

4– रजिस्ट्रार, किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय, लखनऊ

12.10.2021

(डा0 वन्दना वर्मा)

निदेशक।

संख्या–116 / 2021 / 2891 / 26–3–2021–4(358) / 07 टी.सी. III

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 अक्टूबर 2021

विषयः **वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक–1448 / स0क0 / शिक्षा–अ / 7 / 52 / 2021–22, दिनांक–05.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष / शैक्षिक सत्र–2021–22 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित छात्रों को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण तथा अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय–सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कम में शासनादेश संख्या–84 / 2021 / 1868 / 26–3–2021–4 (358) / 07टी0सी0–III दिनांक 12–07–2021 एवं शासनादेश संख्या–106 / 2021 / 2666 / 26–3–2021–4 (358) / 07 टी0सी0–III दिनांक 16–09–2021 द्वारा निर्गत समय–सारिणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

क0 सं0	प्रकियात्मक कार्यवाही	समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021–22)	संशोधित समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2021–22)
	कक्षा 11–12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र / छात्राओं हेतु		
1	छात्र / छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र / छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र / छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	20 सितम्बर 2021 से 05 दिसम्बर 2021 तक	20 सितम्बर 2021 से 02 नवम्बर, 2021 तक
2	छात्र / छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन	20 जुलाई 2021 से 21	21 अक्टूबर 2021 तक

	किया जाना।	अक्टूबर 2021 तक	
3	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का कमांक तथा आवेदन का कमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
4	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 अक्टूबर 2021 तक	25 अक्टूबर 2021 तक
5	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	22 जुलाई 2021 से 28 अक्टूबर 2021 तक	28 अक्टूबर 2021 तक
6	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	10 नवम्बर 2021 तक	10 नवम्बर 2021 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	29 अक्टूबर 2021 से 15 नवम्बर 2021 तक	29 अक्टूबर 2021 से 10 नवम्बर 2021 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 10 दिसम्बर 2021 तक	11 नवम्बर 2021 से 22 नवम्बर, 2021 तक
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	16 नवम्बर 2021 से 26 नवम्बर 2021 तक	11 नवम्बर, 2021 से 16 नवम्बर, 2021 तक
10	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर विलम्बतम 29 नवम्बर 2021 तक	आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके विलम्बतम 17 नवम्बर 2021 तक
11	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण	17 नवम्बर 2021 से 01 दिसम्बर 2021 तक	12 नवम्बर 2021 से 18 नवम्बर 2021 तक

	का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।		
12	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आइ0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित विन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	02 दिसम्बर 2021 से 09 दिसम्बर 2021 तक	19 नवम्बर 2021 से 21 नवम्बर, 2021 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/ छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	10 दिसम्बर 2021 से 20 दिसम्बर 2021 तक	25 नवम्बर, 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आइ0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	24 दिसम्बर 2021 तक	29 नवम्बर, 2021 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातो में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	27 दिसम्बर 2021 तक	30 नवम्बर, 2021 तक

नोटः-

1- शासनादेश संख्या-106/2021/2666/26-3-2021-4 (358)/07 टी0सी0-III दिनांक 16-09-2021 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2021-22 एवं शासनादेश संख्या-84/2021/1868/26-3-2021-4 (358)/07 टी0सी0-III दिनांक 12-07-2021 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय सारिणी के शेष कार्यों हेतु पूर्ववत् रहेगी।

2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks/Promoted without marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (11 नवम्बर 2021 से 16 नवम्बर 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए

आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

4— संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

5— विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड/लिंक करेंगें जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सकें।

3— अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2021–22 में दशमोत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0— /2021/2891 (1)/26–3–2021 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2— प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3— समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
4— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5— निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6— निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
7— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8— निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

06/10/21

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– C-1498 /स0क0/शिक्षा–अ/7/52/2021–22

लखनऊ, दिनांकः 05 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4– निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7– राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय–सारिणी के शासनादेश संख्या–**116/2021/2891/26–3–2021–4(358)/07 टी.सी. III दिनांक 08.10.2021** की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ–साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

8– वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

9– समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

10– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

05/10/21

(पी0 के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक
कृते निदेशक